

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 24.3.2022

प्रकरण संख्या :- 45/2022

देऊ पत्नि नाथूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थीया

बनाम

01. भवानीलाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. लादूलाल पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया देऊ पत्नि नाथूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 521/350 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, आराजी संख्या 522/351 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.8328 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 521/350 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, आराजी संख्या 522/351 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.8328 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा